ALL INDIA LOCO RUNNING STAFF ASSOCIATION

PUNE DIVISION, CENTRAL RAILWAY

Regd.No. 17903, H/Q- Aravindapalli, Lower Beniasole, Post.–Adra, Distt.-Purulia(W.B.), Pin 723121

CentralOffice : AILRSA BHAWAN, H.No. 333, Bhoor Bharat Nagar, Ghaziabad –201001. Tel.No. : 0120-2740025

MANISH MISHRA DIVISIONAL SECRETARY | EMAIL: ailrsapune@gmail.com | PINTU ROY DIVISIONAL PRESIDENT

Letter no. AILRSA/DRM/01/05 **Date:- 05.05.2026**

सेवा में,

आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक (DRM) महोदय,
पुणे मंडल, मध्य रेलवे ।

विषय : पुणे मंडल में लोको रनिंग स्टाफ के सुरक्षा नियमों की अवहेलना, अवैधानिक कार्यप्रणाली एवं दमनात्मक प्रशासनिक रवैये के विरोध में दिनांक 15.05.2026 (समय 11:00 से 14:00 बजे तक) DRM कार्यालय, पुणे के समक्ष प्रस्तावित शांतिपूर्ण *"मुंडीगरम विरोध प्रदर्शन"* के संबंध में वैधानिक सूचना।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि लोको रनिंग स्टाफ, पुणे मंडल द्वारा अपने वैधानिक अधिकारों तथा रेल सुरक्षा से संबंधित स्थापित नियमों के अनुपालन हेतु **दिनांक 14.04.2026 से 22.04.2026** तक शांतिपूर्ण धरना दिया गया था।

उक्त आंदोलन के संदर्भ में **दिनांक 22.04.2026** को **ADRM/Pune** महोदय की अध्यक्षता में **Sr. DPO, DME(OP), AOM** एवं **APO** महोदय के साथ बैठक आयोजित हुई।

किन्तु अत्यंत खेद के साथ उल्लेख करना पड़ रहा है कि—

- **बैठक में कर्मचारियों की वैधानिक एवं सुरक्षा संबंधी मांगों को अस्वीकार किया गया,**
- **12 घंटे तक ड्यूटी, अपर्याप्त विश्राम, असीमित रात्रि कार्य एवं असुरक्षित कार्य प्रणाली को उचित ठहराया गया,**
- **तथा कर्मचारियों पर अवैधानिक दंडात्मक कार्यवाही एवं वेतन कटौती को भी मान्यता दी गई।**

उपरोक्त निर्देश न केवल HOER, रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध हैं, बल्कि यह रेल सुरक्षा, कर्मचारी स्वास्थ्य, प्राकृतिक न्याय एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का भी उल्लंघन करते हैं।

संगठनात्मक निर्णय (Resolution)

तत्पश्चात **All India Loco Running Staff Association** की ज़ोनल वर्किंग कमेटी (**ZWC**) की बैठक दिनांक 02.05.2026, नागपुर में सम्पन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय **(Resolution)** लिया गया कि:

दिनांक **15.05.2026** को **मध्य रेलवे के सभी मंडलों में DRM** कार्यालयों के समक्ष **"मुंडीगरम विरोध प्रदर्शन"** आयोजित किया जाएगा।

आंदोलन की सूचना (Statutory Notice)

AILRSA, पुणे मंडल द्वारा, संगठन के वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यह औपचारिक सूचना दी जाती है कि :

दिनांक: 15 मई 2026, समय: 11:00 बजे से 14:00 बजे तक, स्थान: DRM कार्यालय, पुणे ।

- **उक्त स्थान पर लोको रनिंग स्टाफ द्वारा एक शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं लोकतांत्रिक "मुंडीगरम विरोध प्रदर्शन" आयोजित किया जाएगा।**
- **यह प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं संगठनात्मक मर्यादा के अंतर्गत रहेगा।**
- **संवाद एवं समन्वय हेतु पोर्टेबल स्पीकर का सीमित उपयोग किया जाएगा।**
- **रेल संचालन की सुरक्षा एवं निरंतरता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाएगा।**

मुख्य मांगें / शिकायतें

निम्नलिखित प्रावधान, जो रेलवे बोर्ड एवं विभिन्न वैधानिक प्रावधानों द्वारा स्वीकृत हैं, उनका पालन सुनिश्चित किया जाए—

1. **रनिंग ड्यूटी को साइन ऑन से साइन ऑफ अधिकतम 09 घंटे तक सीमित किया जाए।**
2. **09 घंटे के पश्चात कार्य करने में असमर्थ स्टाफ पर दिए गए सभी अवैध दंड निरस्त किए जाएं।**
3. **FSD एवं डेटोनेटर को CREW द्वारा ढोने की बाध्यता समाप्त की जाए।**
4. **HQ ओवरशूट/बायपास कर अनियमित कार्य प्रणाली पर तत्काल रोक लगाई जाए।**
5. **रात्रि ड्यूटी समय 22:00 से 06:00 निर्धारित किया जाए। और "Night in Bed" के पश्चात 06:00 बजे के बाद ही कॉल बुक दिया जाए।**
6. **3 निरंतर नाइट ड्यूटी के बाद HQ से पुनः बुकिंग पर रोक लगाई जाए। उन्हें Night in Bed दिया जाए।**
7. **HQ Rest – 16 घंटे के अतिरिक्त PR – 30 घंटे का कड़ाई से पालन किया जाए।**
8. **Leave Reserve 30% नियम लागू किया जाए।**
9. **LPG कर्मचारियों का Pay Fixation प्रमोशन तिथि से किया जाए।**
10. **MGK 120 KM के अतिरिक्त स्पेयर माइलेज की गणना सुनिश्चित की जाए।**

AILRSA यह स्पष्ट करता है कि:

- लोको रनिंग स्टाफ हर परिस्थिति में रेल सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
- किन्तु, सुरक्षा नियमों की अनदेखी एवं दमनात्मक रवैये के कारण कर्मचारियों को लोकतांत्रिक विरोध के लिए विवश होना पड़ रहा है।

प्रशासन से अपेक्षित कार्यवाही

आपसे विनम्र अनुरोध है कि : उपरोक्त सभी मुद्दों का तत्काल संज्ञान लिया जाए**,** समयबद्ध सुधारात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाए**,** और संगठन के साथ सार्थक एवं परिणाम-उन्मुख संवाद स्थापित किया जाए।

अंतिम निवेदन

यदि उपरोक्त गंभीर सुरक्षा एवं श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है, तो संगठन को अपने वैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आंदोलन को और व्यापक एवं तीव्र करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

आपका कॉमरेड

Pintu Roy

PINTU ROY

मंडल अध्यक्ष / सचिव

AILRSA, पुणे मंडल, मध्य रेलवे

COPY TO – Hon. GM/C.RLY

Hon. Sr.DPO(P), Pune

Hon. Sr.DME, Pune

Hon. Sr.DSO, Pune

Hon. Incharge RPF & GRP, Pune

Hon. Incharge of City Police Station , Bund garden